

**Memorandum of Understanding Between  
The Government of the Republic of India  
and  
The Government of the Republic of Mozambique  
on  
Cooperation in the field of Oil and Gas**

**PREAMBLE**

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") between the Government of Republic of India represented by the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Government of the Republic of Mozambique represented by the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation (hereinafter individually referred to as "Party" and jointly as "Parties") to establish a cooperation in the field of Oil and Gas.

**ACKNOWLEDGING** the desire on part of both countries to raise bilateral relationship to a higher level;

**NOTING** the opportunities for enhanced economic and commercial cooperation between both countries, particularly in the oil and gas sector;

**RECOGNIZING** the importance and benefits from long-term cooperative relationship and joint economic projects for the mutual benefit of their people;

**DESIRING** to broaden and deepen further the friendly relations and mutually beneficial links between the two countries;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

**HAVE REACHED** the following understandings:

**Clause 1**

**Objectives and Principles**

The objective of this Memorandum of Understanding is to establish a cooperative institutional framework to facilitate and to enhance bilateral cooperation in the oil and gas sector, on the basis of equality and mutual benefit.

This Memorandum of Understanding is founded on the principles of mutual respect and mutual responsibility for improved development outcomes.



**Clause 2**  
**Areas of Cooperation**

1. The Parties will cooperate with an objective to enhance and build enduring ties in the oil and gas sector in conformity with their domestic laws, and regulations. The areas of cooperation between the Parties may include, but not limited, to the following areas:
  - a. Cooperation in the areas of upstream and downstream activities and infrastructure;
  - b. Encourage and promote trade and investment between the parties or through their affiliated companies;
  - c. Promote dialogue and consultations among all concerned Parties with regard to sharing of information;
  - d. Enhance capacity-building cooperation including forging closer cooperation between research and training centers and intensifying mutual visits among officials;
  - e. Technology transfer, conduct of applied research and development activities and installation of demonstration facilities; and
  - f. Other areas as may be agreed upon by the Parties.
2. Implementation of the above areas shall be discussed further by the Parties.

**Clause 3**  
**Intellectual Property Rights**

1. Each Party shall protect, within its territory, Intellectual Property Rights of the other Party in accordance with the domestic law in force in their respective country.
2. In case a specific arrangement, program or project may result in intellectual property, the Parties shall include separate arrangement in accordance with their respective regulations.



#### **Clause 4**

##### **Joint Working Group**

1. For the purpose of discussions and implementation of various issues pertaining to this Memorandum of Understanding, the Parties may set up a Joint Working Group.
2. The Joint Working Group, consisting of the representatives of the Parties, may meet periodically on mutually determined dates by the Parties alternately in India and Mozambique. Each Party will cover the expenses relating to its participation in the meeting of the Joint Working Group (JWG).

#### **Clause 5**

##### **Amendment**

This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written consent of the Parties, specifying the date of entry into force of such amendment.

#### **Clause 6**

##### **Settlement of Differences**

Any differences arising in relation to the interpretation, implementation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation on the basis of mutual understanding and goodwill between the Parties.

#### **Clause 7**

##### **Entry into Force, Duration, and Termination**

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day of its signing and shall remain in force for 5 (five) years unless either Party gives notice, in writing, to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding, with 90 days prior notice. The MoU may be renewed with the mutual consent of the Parties, in writing.
2. The Parties will consult together at any time upon request of either Party regarding any matter relating to the terms of this MoU and will endeavour



jointly in a spirit of cooperation, good faith and mutual trust to resolve expeditiously any difficulties or misunderstandings that may arise.

3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of cooperation activities initiated, while this Memorandum of Understanding is in effect, unless otherwise mutually determined in writing by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries, duly authorized by their respective Governments have signed this MoU in two originals one each in English, Hindi and Portuguese, all text being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Signed at New Delhi on 28<sup>th</sup> November, 2014.



(Dharmendra Pradhan)  
Minister of State (Independent Charge)  
Ministry of Petroleum & Natural Gas  
Government of India



(Odemiro Júlio Marques Baloi)  
Minister  
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation  
Government of Mozambique

तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में  
भारत गणराज्य की सरकार  
तथा  
मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार  
के बीच समझौता जापन

प्रस्तावना

इस समझौता जापन (इसके बाद इसे "एमओयू" कहा जाएगा) को भारत गणराज्य की सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है तथा मोज़ाम्बिक गणराज्य की सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व विदेश मामले और सहयोग मंत्रालय करता है, (इसके बाद इन्हें अलग तौर पर 'पक्षकार' और संयुक्त तौर पर 'पक्षकारों' कहा जाएगा) के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है

दोनों देशों की उच्चतर स्तर पर द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की दोनों देशों की मंशा अभिस्वीकार करते हुए;

दोनों देशों के बीच वर्धित आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग विशेषतया तेल और गैस क्षेत्र में अवसरों पर ध्यान देते हुए;

अपनी जनता के पारस्परिक लाभ के लिए दीर्घकालिक सहयोगात्मक संबंध और संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं के महत्व और उनके लाभों को मानते हुए; और

दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों और पारस्परिक लाभकारी संपर्कों को और अधिक व्यापक और प्रगाढ़ बनाने की मंशा रखते हुए;

अपने-अपने देश में लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार;  
निम्नलिखित समझौते किए हैं:

खंड 1  
उद्देश्य और सिद्धांत

इस समझौता जापन का उद्देश्य समता और पारस्परिक लाभ के आधार पर तेल और गैस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुसाध्य बनाने और बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करना है।



इस समझौता जापन का आधार उन्नत विकास निष्कर्षों के लिए पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर है।

## खंड 2 सहयोग के क्षेत्र

1. पक्षकार अपने स्वदेशी कानूनों और विनियमों के अनुसार तेल और गैस क्षेत्र में स्थायी संबंधों को बढ़ाने और उन्हें कायम रखने के उद्देश्य से सहयोग करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे किंतु सहयोग इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा:

- क) अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल और गैस संबंधी कार्यकलापों और बुनियादी सुविधाओं में सहयोग;
- ख) पक्षकारों के बीच अथवा उनकी संबद्ध कंपनियों के जरिए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना;
- ग) सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सभी संबंधित पक्षकारों के बीच बातचीत और परामर्श को बढ़ावा देना;
- घ) अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों के बीच सहयोग बढ़ाने सहित क्षमता निर्माण सहयोग को बढ़ाना तथा अधिकारियों की पारस्परिक यात्राओं में वृद्धि करना;
- ड.) प्रौद्योगिकी अंतरण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलाप संचालित करना तथा प्रदर्शन सुविधाओं की संस्थापना; और
- च) पक्षकारों की सहमति से तय किए गए अन्य क्षेत्र।

2. उपर्युक्त क्षेत्रों के कार्यान्वयन के संबंध में पक्षकारों द्वारा आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

## खंड 3 बौद्धिक संपदा अधिकार

1. प्रत्येक पक्षकार अपने देश में लागू स्वदेशी कानून के अनुसार अपने क्षेत्र के भीतर अन्य पक्षकार के बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों की रक्षा करेगा।
2. यदि विशेष व्यवस्था, कार्यक्रम अथवा परियोजना से बौद्धिक संपदा प्राप्त होती है तो पक्षकार अपने संबंधित विनियमों के अनुरूप अलग से व्यवस्था करेंगे।

**खंड 4**  
**संयुक्त कार्य समूह**

1. इस समझौता जापन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श और उनके कार्यान्वयन के लिए पक्षकार एक संयुक्त कार्य समूह का गठन कर सकते हैं।
2. पक्षकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संयुक्त कार्य समूह आवधिक रूप से भारत और मोजाम्बिक में पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति से तय की गई तारीखों को बारी-बारी से बैठक कर सकता है। प्रत्येक पक्षकार संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भाग लेने से संबंधित व्ययों को वहन करेगा।

**खंड 5**  
**संशोधन**

इस समझौता जापन को संशोधन लागू करने की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए पक्षकारों की पारस्परिक लिखित स्वीकृति से संशोधित किया जा सकता है।

**खंड 6**  
**मतभेदों का निपटारा**

इस समझौता जापन की व्याख्या, कार्यान्वयन अथवा इसके प्रयोग के संबंध में कोई मतभेद होने की स्थिति में उसका निपटारा पक्षकारों के बीच पारस्परिक समझौते और प्रतिष्ठा के आधार पर परामर्श करके अथवा बातचीत द्वारा किया जाएगा।

**खंड 7**  
**लागू होना, अवधि और समापन**

1. यह समझौता जापन इसे हस्ताक्षरित करने के दिन से लागू हो जाएगा और 5 (पांच) वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा जब तक कि अन्य पक्षकार 90 दिन के पूर्व नोटिस सहित इस समझौता जापन को समाप्त करने के अपने इरादे का लिखित में नोटिस नहीं दें। पक्षकारों की पारस्परिक लिखित सहमति से समझौता जापन का नवीकरण किया जा सकता है।



2. पक्षकार इस एमओयू के अनुसार किसी मामले के संबंध में किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर किसी भी समय आपस में परामर्श करेंगे और पेश आने वाली किन्हीं कठिनाइयों अथवा गलतफहमियों का त्वरित निपटान करने के लिए

सहयोग, सदभाव और पारस्परिक विश्वास की भावना से संयुक्त रूप में प्रयास करेंगे।

3. जब तक पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से लिखित में ऐसा तय नहीं किया जाए तब तक इस समझौता जापन के लागू रहने के दौरान शुरू किए गए सहयोगात्मक कार्यकलापों की पूर्णता इस समझौता जापन को समाप्त किए जाने से प्रभावित नहीं होगी।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत पूर्णाधिकारियों ने इस समझौता जापन को अंग्रेजी, हिन्दी और पुर्तगाली में एक-एक कुल दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। किसी विवाद की स्थिति में इस समझौता जापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

इस समझौता जापन पर दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।



(धर्मेंद्र प्रधान)

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत सरकार



(अलेक्जेंडरो जुलियो मारक्यूज बालोई)  
मंत्री

विदेश मामले और सहयोग मंत्रालय  
मोजाम्बिक सरकार